

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228066, 2228064 ई-मेल : edprocurement@gmail.com, rmisc.drugprocurement@yahoo.in

क्रमांक : एफ.2(42)/आरएमएससी/प्रोक्यू./ड्रग/2013/1063 दिनांक 24.09.2013

कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर सविदा के लिये जारी की गई बिड सूचना क्रमांक एफ. F.2(42)/RMSCL/ Procurement/Drug/NIT-1 /2013/281 Dated 26.02.2013 के अन्तर्गत Preet International Pvt. Ltd., New Delhi- 110055 - द्वारा आनलाइन बिड प्रस्तुत की गई थी। फर्म के पक्ष में Item code संख्या 499 (Cetirizine syrup IP 5 mg/ 5 ml), 515 (Levofloxacin Tablets IP 250 mg), 622 (Calcium Carbonate & vitamin D3 Tablets (Elemental Calcium 500 mg, Vitamin D3- 250 IU) Calcium with Vitamin D Tablets USP/ Calcium and Colecalciferol Tablets BP) & 520 (Ofloxacin and Ornidazole Tablets (Ofloxacin 200 mg and Ornidazole 500 mg) कुल 4 आईटमों की दर अनुमोदित होने पर फर्म को पत्रांक 641 दिनांक 28.5.2013 के द्वारा Letter of acceptance जारी कर अनुबन्ध पत्र एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, लेकिन फर्म द्वारा चारों आईटमों के लिये अनुबन्ध पत्र एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं की गई।

फर्म को निविदा की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक 732 दिनांक 17.6.2013 एवं 767 दिनांक 27.6.2013 द्वारा लिखा गया। साथ ही दिनांक 11.9.2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अनुशासनात्मक समिति की बैठक में बुलवाया गया।

फर्म द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इस बिड हेतु फर्म का कोई अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुआ। M/s. Preet International Pvt. Ltd., New Delhi- 110055 (Factory 33-34, EPIP Phase-2, Thana Baddi- 173205-HP) को अनुबन्ध पत्र एवं निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करने के कारण बिड शर्तों के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये फर्म को आरएमएससी की निविदाओं में भाग लेने से (Participating) यह आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये डिबार्ड (Debarred) किया जाता है। साथ ही फर्म के पक्ष में निविदा सूचना क्रमांक एफ. 2(37)/आरएमएससी/प्रोक्यू./NIT-6/ 3113 दिनांक 31.10.2012 के अन्तर्गत अनुमोदित आईटम कोड 272 (Omeprazole Capsules IP 20 mg) की दर सविदा को भी निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त कार्यवाही डिबारिंग -निति के अनुसार पूर्व में जारी किये गये क्रयादेशों/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेंटशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती है, पर बिना कोई प्रतिकूल असर डाले की गई है।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी

क्रमांक : एफ. 2(42)/आरएमएससी/प्रोक्यू./ड्रग/2013/1063

दिनांक - 24.09.2013

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, उप कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. निदेशक, PH/RCH/AIDS/MSU/IEC, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/ उदयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/ झालावाड़।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी।
9. विशेषाधिकारी, आरएमएससी।
10. कार्यकारी निदेशक वित्त / लोजिस्टिक / गुणवत्ता नियंत्रक / EPM, आरएमएससी।
11. Preet International Pvt. Ltd., 240, 1st Floor, DDA Office Complex, Cycle Market, Jhandewalan Extn. New Delhi- 110055 Tel:011-43598122 Fax:011-43542722 E-mail:preetinternational@in.com/
Factory 33-34, EPIP Phase-2, Thana Baddi- 173205-HP
12. एजीएम, (आईटी) आरएमएससी।
13. रक्षित पत्रावली

3 ~ 24/9/13
कार्यकारी निदेशक (पी.)
आरएमएससी
यु